दिल्ली विकास प्राधिकरण

राजनिवास, दिल्ली पर 9 जुलाई, 2019 को अपराह्न 3 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

इस बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः-

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरुन कपूर

सदस्य

1. श्री के विनायक राव,
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेन्द्र शर्मा,
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्रीमती अर्चना अग्रवाल,
   सदस्य सचिव, एन.सी.आर. पी बी
4. श्री विजेन्द्र गुप्ता,
   विधायक एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष।
5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
7. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
8. श्री मनीष अग्रवाल,
   निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

Scanned with CamScanner

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष आमंत्रित

1. डॉ जी. नरेंद्र कुमार
   प्रधान आयुक्त (एल एण्ड बी), रा.रा.क्षे.दि.सरकार
2. डॉ राजेश कुमार
   प्रधान आयुक्त (आवास, सी.डब्ल्यू.जी. एवं खेल)
3. श्री मनीष कुमार गुप्ता
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा.
4. श्री श्रीपाल
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भू-दृश्य), दि.वि.प्रा.
5. श्रीमती मनीष सक्सैना
   सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे.दि.सरकार

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्रीमती चंचल यादव
   उपराज्यपाल के विशेष सचिव
2. श्री अनूप ठाकुर
   उपराज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

Scanned with CamScanner

मद सं. 46/2019

राजनिवास पर दिनांक 14.06.2019 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत का पुष्टिकरण।

एफ. 2(2)2019/एम.सी./दि.वि.प्रा.

I. श्री सोमनाथ भारती द्वारा किए गए अवलोकन को प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य बिन्दुओं' के पैरा (ii) में उल्लिखित कार्यवृत्त में निम्न प्रकार से दर्ज किया गया है:

"दि.वि.प्रा. को यूसुफ सराय में मॉडल स्कूल के लिए भूमि आबंटन पर विचार करना चाहिए।"

उपरोक्त कार्यवृत्तों में निम्नानुसार संशोधन किया गया।

"दि.वि.प्रा. को यूसुफ सराय में डी.ए.वी. मॉडल स्कूल के लिए भूमि आबंटन पर विचार करना चाहिए।"

II. प्राधिकरण ने एजेंडा मद सं. 42/2019 द्वारा शहीदों की विधवाओं, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और कार्रवाई/युद्ध में घायल/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवास योजना का भुभारंभ इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि कब्जे की तिथि से 10 वर्ष की अवधि हेतु किसी भी प्रकार से आबंटितों को बेचने/स्थानांतरण अन्यथा किसी भी तरीके से फ्लैट पर कब्जा छोड़ने का अधिकार नहीं होगा और लॉक-इन अवधि के दौरान, संपत्ति को लीज-होल्ड के रूप में नहीं माना जा सकता है।

दिनांक 09.07.2019 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण ने उपरोक्त प्रस्ताव पर पुन: विचार किया और विचार-विमर्श के बाद इसे 10 वर्ष की लॉक-इन अवधि को हटाने का निर्णय लिया गया और आवेदकों को फ्लैटों का आबंटन फ्री-होल्ड के आधार पर किया जा सकता है।

III. दिनांक 14.06.2019 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के शेष कार्यवृत्त यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

Scanned with CamScanner

मद सं. 47/2019

दिनांक 14.06.2019 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

एफ.2(3)2019/एमसी/दि.वि.प्रा.

प्राधिकरण के सदस्यों ने 14 जून, 2019 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्तों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता

i. बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आबंटित भूमि हेतु पट्टे के निर्धारण के मामले को और अधिक जटिल बनाने के बजाए उसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या वह नीतिगत निर्णय के अनुसार निर्धारित किया गया था या मामले को पट्टा गलत तरीके से प्रदान किया गया था।

ii. विवाह एवं अन्य कार्यों हेतु खाली पड़ी भूमि की नीलामी के लिए नीति शीघ्र तैयार की जाए।

iii. दि.वि.प्रा. के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी./नगर निगमों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि दि.वि.प्रा. उनका ठीक से रख-रखाव करने तथा स्वच्छता और स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं।

iv. सभी दि.वि.प्रा. पार्कों में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड और माली तैनात किए जाने चाहिए।

v. दि.वि.प्रा. पार्कों में ओपन जिम का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है।

vi. लैंड-पूलिंग योजना पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा उसकी स्थिति के बारे में समय-समय पर सूचित किया जाए।

श्री सोमनाथ भारती

i. बदरपुर व्यापार संघ को आबंटित भूमि के पट्टे को रद्द करने के बारे में समिति की सिफारिशें त्रुटिपूर्ण हैं और क्या दि.वि.प्रा. के पास पट्टे के आबंटन की समीक्षा करने का अधिकार है।

Scanned with CamScanner

ii. चूंकि दि.वि.प्रा. ने पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है कि नर्सरी स्कूल के प्लॉटों का उपयोग सार्वजनिक उपयोग हेतु किया जा सकता है, अत: मामले की और अधिक जांच की आवश्यकता नहीं है।

iii. हौज खास, खसरा सं. 277, की भूमि का सीमांकन पहले ही तीन बार किया जा चुका है और नये सीमांकन की जरूरत नहीं है।

iv. गौतम नगर में दि.वि.प्रा. के प्लॉट उपलब्ध हैं, जिन्हें सामुदायिक सेवाओं के लिए आबंटित किया जा सकता है।

v. कुम्हार बस्ती में दि.वि.प्रा. की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जिसका एक हिस्से का उपयोग सामुदायिक केंद्र के लिए किया जा सकता है।

vi. एस.डी.एम.सी. इस बात से सहमत नहीं है कि मालवीय नगर में पुलिस स्टेशन के पास की सड़क दि.वि.प्रा. द्वारा सौंप दी गई थी। सड़क की चौड़ाई को देखते हुए, इसे वास्तव में पी. डब्ल्यू.डी. को सौंप दिया जाना चाहिए।

vii. अद्चिनी में दि.वि.प्रा. सामुदायिक भवन का उपयोग भूमिगत पार्किंग के लिए किया जा सकता है।

viii. गुर्जर डेयरी का सामुदायिक भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

ix. रोज गार्डन, हौज खास में नाले के पानी से बहुत दुर्गंध आती है।

x. ट्रांसफार्मर के स्थापन के लिए आवश्यक भूमि का आबंटन शीघ्र किया जाए।

xi. गुलमोहर पार्क में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र हेतू भूमि का आबंटन बहुत समय से लंबित है।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

i. उनके निर्वाचन क्षेत्र में मार्गाधिकार सड़कों पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।अतिक्रमणकारी स्थनांतरण हेतु तैयार हैं, अत: इसकी कार्रवाई शीघ्र की जाए।

ii. चूंकि पट्टे के आधार पर बदरपुर व्यापार संघ को भूमि आबंटित की गई थी, क्या दि.वि.प्रा. के पास पट्टा निर्धारण करने का अधिकार है।

iii. यह जांच की जानी चाहिए कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ग्रेट गेट्स बाय क्लब, गीता चैरिटेबल ट्रस्ट, जागृति प्ले स्कूल और शुभम बेंक्वेट हॉल के लिए संस्थागत भूमि एक व्यक्ति को कैसे आबंटित की गई थी।

Scanned with CamScanner

iv. डेमोलिशन कार्यक्रमों की रिपोर्टों के बावजूद, ओखला नदी के तल पर कई अनधिकृत बहुस्तरीय निर्माण किए गए।

v. दि.वि.प्रा. द्वारा विद्यालयों को आबंटित भूमि लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत निर्माण, पार्किंग और रामलीला और अन्य समारोहों के लिए उपयोग के विरूद्ध हेतु दि.वि.प्रा. द्वारा जांच की जानी चाहिए।

vi. यद्यपि एन.बी.सी.सी. द्वारा कड़कड़डूमा में मेगा परियोजना विकसित करने की आवश्यकता थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है।

vii. घरेलू उद्योगों के लिए मास्टर प्लान को संशोधित किया गया था परन्तु लोगों को कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि प्रदूषण और श्रम हेतु एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए नगर निगमों द्वारा अतिरिक्त प्रावधान डाल दिए गए। दि.वि.प्रा. को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजना चाहिए कि ऐसी कोई शर्तें नगर निगमों द्वारा शामिल नहीं की गई हैं।

श्री एस. के. बग्गा

i. कृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित 15 से 20 दि.वि.प्रा. पार्कों में से 4 वार्डों की स्थिति में सुधार किया जाए।

श्री मनीष अग्रवाल

i. दि.वि.प्रा. की भूमि पर शास्त्री मार्केट, साउथ मोती बाग, ए-5, आनंद निकेतन एवं कर्बला, लोधी रोड़ पर से अतिक्रमण हटाया जाए।

मद सं. 48/2019

वर्ष 2019-20 के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूखंडों और फ्लैटों के आबंटन के लिए विकसित क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित भूमि दरों का निर्धारण।

एफ.डी.वाई.सी.ए.ओ.(एलसी)/डीएआर/2004-05

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 49/2019

Scanned with CamScanner

गैर-प्रकार्यात्मक आधार पर दिविप्रा के **अधीक्षण अभियंताओं को वेतन बैंड-4 रु. 37,400-67,000/-** रुपये 8700 ग्रेड वेतन के **साथ (7 वें सी.पी.सी. के पे-मैट्रिक्स के स्तर 13 के अनुसार)** के उच्च वेतनमान प्रदान करना।

एफ.7(65)/2012/पीबी-I/पार्ट-II

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 56 के तहत अधिसूचना जारी किए जाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

मद संख्या 50/2019

आयुक्त (योजना) के पद में वेतन बैंड-4, रूपये 37,400-67,000/- ग्रेड वेतन रूपये 10,000 के साथ (7 वें सी.पी.सी. की पे-मैट्रिक्स में स्तर 14 के अनुसार संशोधित) भर्ती नियमों में संशोधन।

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 56 के तहत अधिसूचना जारी किए जाने के लिए को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, के पास भेजा जाए।

मद संख्या 51/2019

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में प्रस्तावित संशोधन ।

एफ.20(9)/2014/एम.पी.

पैरा 5.6.3.सी में निम्नलिखित संशोधनों के साथ एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

"एलएससी", सीएससी और शॉप प्लॉट जो पहले से व्यावसायिक उपयोग जोन के अंतर्गत है और यदि आवासीय प्रयोग के लिए बनाए गए ऊपर की मंजिलों को व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किया जाता है तो उनके लिए उपयोग परिवर्तन प्रभार देने होंगे।"

उपरोक्त को शामिल करने के बाद करने के बाद, आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाए।

मद संख्या 52/2019

Scanned with CamScanner

आवासीय भूखंडों में छज्जों/बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. शुल्क का निर्धारण।

विचार विमर्श के बाद पुन: परीक्षा के लिए एजेंडा मद हटा दी गई ।

एफ.5(09)2019/ए.ओ.(पी)दि.वि.प्रा.

मद संख्या 53/2019

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशनों की स्थापना।

एफ.5(8)2019/ए.ओ(पी)/ दि.वि.प्रा.

विचार-विमर्श के बाद, एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया।

i. यदि साइट के उपयोग की अनुमति विशेष रूप से सीएनजी स्टेशन के लिए मांगी जाती है, तो उपयोग परिवर्तन प्रभार पेट्रोल पंपों पर लागू प्रभारों का 50% होगा।
ii. यदि साइट के उपयोग की अनुमति विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग (ई.वी.सी.) स्टेशन के लिए मांगी जाती है, तो उपयोग परिवर्तन प्रभार पेट्रोल पंपों पर लागू प्रभार का 5% होगा।
iii. यदि सीएनजी स्टेशन के साथ-साथ ईवीसी स्टेशन के संयुक्त उपयोग के लिए अनुमति मांगी गई है, तो उपयोग परिवर्तन प्रभार पेट्रोल पंपों पर लागू प्रभार का 25% होगा।
iv. यदि पेट्रोल पंप के साथ-साथ सीएनजी स्टेशन के संयुक्त उपयोग के लिए अनुमति मांगी गई है; तो उपयोग परिवर्तन प्रभार पेट्रोल पंपों पर लागू प्रभार का 75% होगा।

इस मामले को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के तहत अनुमोदनार्थ भेजा जाना चाहिए।

मद संख्या 54/2019

नरेला में गोदामों के लिए लगाए गए बाहरी विकास प्रभार (ईडीसी) की समीक्षा।

एफ.5(10)2019/ए.ओ.(ओ)पी/दिविप्रा

Scanned with CamScanner

एजेंडा में सम्मिलित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस मामले को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 57 के अंतर्गत अधिसूचना के लिए भेजा जाए।

मद संख्या 55/2019

दिविप्रा के वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और निवासी कल्याण संघ आर.डब्ल्यू.ए. की भागीदारी ।

एफ.पी.ए./एसी(एल.एस.)डीडीए/2019/192

विस्तृत चर्चा के बाद, स्कूली बच्चों के लिए एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । आर.डब्ल्यू.ए. के लिए प्रस्ताव को संशोधित किया जाये कि राशि अर्थात रू. 15,000 का भुगतान आर.डब्ल्यू.ए. को नहीं किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि वृक्षारोपण कार्यक्रमों में जनता को बडी संख्या में शामिल किया जाना चाहिए । वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए उचित विवरण दिया जाना चाहिए और वृक्षारोपण केवल स्वदेशी पौधों का किया जाना चाहिए वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा उनके रखरखाव और संरक्षण का कार्य संगठन को आउटसोर्स भी किया जा सकता है । दिविप्रा पार्कों के हिस्सों में सघन वृक्षारोपण किया जा सकता है। प्राधिकरण सदस्यों को वृक्षारोपण कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए ।

मद संख्या 56/2019

सीएससी/एलएससी और दुकान सहआवासीय भूखण्डों/काम्पलैक्सों/शॉप प्लाटों जिन्हें बाद में एलएससी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है के एफ.ए.आर. और उपयोग परिवर्तन प्रभारों का उचित निर्धारण।

एफ.2(14)2017-18/ए.ओ.(पी)/दिविप्रा

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । इस मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के तहत अनुमोदनार्थ भेजा जाए।

Scanned with CamScanner

मद संख्या 57/2019

ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों की लागत में रियासत/कमी।

एफ.2(07)2017/ई.डब्ल्यू.एस./पार्ट

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य बिन्दु

श्री बिजेन्दर गुप्ता

i. चूंकि दिल्ली में भूमिगत जल तेजी से घट रहा है इसलिए दिविप्रा के सभी पार्कों की सिंचाई के लिए समय-बद्ध तरीके से एसटीपी स्थापित किए जाने चाहिए।
ii. दिविप्रा पार्कों में हरित अपशिष्ट निपटान हेतु बायों डाइजेस्टर्स स्थापित किए जाए।
iii. दिविप्रा में रबराइज्ड पाथ-वे रखरखाव बाहरी स्त्रोंतों से करवाया जाए।
iv. दिविप्रा पार्कों में कई शौचालयों का निर्माण अधूरा है इसलिए परिणास्वरूप उनका उपयोग नहीं किया जा सकता ।
v. धार्मिक संस्थानों हेतु भूमि के आबंटन के लिए नीति शीघ्र तैयार की जाए।
vi. रामलीलाओं के लिए भूमि का आबंटन पूर्व की भांति 30 दिनों के बजाय 45 दिनों के लिए होना चाहिए।
vii. औद्यौगिक प्लॉटों के लिए एफएआर में वृद्धि का एजेंडा प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए जिस पर पहले ही जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया जा चुका है।
viii. दिविप्रा की खाली पड़ी भूमि पर कल्याण मंडपों के निर्माण की नीति को प्राथमिकता दी जाए और उनके निर्माण में तेजी लाई जाए।

श्री सोमनाथ भारती

i उनके निर्वाचन क्षेत्र में दिविप्रा पार्कों में कोई जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं की गई।

Scanned with CamScanner

ii दिविप्रा को दिविप्रा की खाली पड़ी भूमि पर मोहल्ला क्लीनिकों के लिए अस्थायी ढांचों के लिए एनओसी प्रदान करनी चाहिए।

iii हौज खास के जिला पार्क में झील के पानी से बहुत दुर्गंध आती है

iv बेगमपुर में डीएमआरसी को अस्थायी रूप से आबंटित भूमि को दिविप्रा द्वारा वापस लिया जाना चाहिए।

श्री ओ.पी.शर्मा

i. प्रीत विहार में सामुदायिक भवन के लिए आबंटित संस्थागत भूमि का उपयोग बहुत अधिक सदस्यता दरों के साथ क्लब के लिए किया जा रहा है। एक ही भूमि के लिए दो अलग-अलग आबंटन आदेशों के लिए अलग नियम और शर्तें हैं।

ii. दि.वि.प्रा. के सभी पार्कों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

iii. दि.वि.प्रा. पार्कों में सुरक्षा गार्ड नहीं है जिससे सुरक्षा जोखिम है। पार्कों के बंद होने के घंटे तय होने चाहिए।

iv. दि.वि.प्रा. पार्कों में खुले जिम के उपकरण ठीक से स्थापित किए जाए और सुरक्षित होने चाहिए, क्योंकि उपकरण चोरी हो रहे हैं।

v. यद्यपि सूरजमल पार्क का डिजाइन पाँच वर्ष पूर्व ही तैयार किया जा चुका था परन्तु पार्क अभी तक विकसित नहीं हुआ है।

vi. रामलीलाओं के लिए भूमि का आबंटन पहले की प्रथा के अनुसार 45 दिनों के लिए होना चाहिए।

श्री मनीष अग्रवाल

i. मोतीबाग में नानकपुरा गुरूद्वारे के पास दि.वि.प्रा. की भूमि पार्किंग के लिए आबंटित की जाए।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बैठक, धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

Scanned with CamScanner